संख्या-120/2026/आई0/1298205/2026-5-6099/153/2023-6-

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेगुरा, जनपद-मीरजापुर में 50 बेड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य भवन के प्रथम तल पर 32 शैय्या का वार्ड, रैम्प तथा सीढ़ी, चिकित्साधिकारी आवास हेतु प्रथम तल पर 01 नग अतिरिक्त आवास एवं श्रेणी-2 हेतु प्रथम तल पर 02 नग अतिरिक्त आवास के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-17फ/मि0नि0अ0-01/2026-27/04, दिनांक 01.04.2026 तथा शासनादेश संख्या-आई0/1254691/2026-5-6099/153/2023, दिनांक 28.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 28.02.2026 द्वारा प्रश्नगत कार्यों हेतु "उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 01.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेगुरा, जनपद-मीरजापुर में 50 बेड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य भवन के प्रथम तल पर 32 शैय्या का वार्ड, रैम्प तथा सीढ़ी, चिकित्साधिकारी आवास हेतु प्रथम तल पर 01 नग अतिरिक्त आवास एवं श्रेणी-2 हेतु प्रथम तल पर 02 नग अतिरिक्त आवास के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रूपये 234.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि रूपये 234.94 लाख (दो करोड चौंतीस लाख चौरानबे हजार रूपये मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है कि प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
4. परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
6. प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
9. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
10. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।
11. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
12. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
13. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी किश्त हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त स्थिति से अवगत कराया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,34,94,000 (रुपये दो करोड़ चौंतीस लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखा शीर्षक** 4210021030400 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (चालू अंश) (जिला योजना) **मानक मद-**24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मीरजापुर।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/पी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- मुख्य चिकित्साधिकारी, मीरजापुर।
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ/मीरजापुर।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।